प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 28 अक्टूबर, 2025

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न मण्डलों के विभिन्न जनपदों के कुल 18 चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित तालिका-1 में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **विभिन्न मण्डलों के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 18 मार्गों के चालू कार्यों हेतु तालिका-2 के अनुसार अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 9,92,95,000/- (रूपये नौ करोड़ बानबे लाख पंचानबे हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षके-3054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका-1

क्र0 सं0	विश्वकर्मा पोर्टल का पत्र संख्या	दिनांक
1	17279/CE-HQ1/RSN3054/PRJ/2025-26	14-10-2025
2	17281/CE-HQ1/RSN3054/BAR/2025-26	14-10-2025

तालिका-2

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि.ख.-1 प्रतापगढ़	मानिकपुर सहजनी मार्ग	676/2024/आई/825 564/23-1-24/ 001/23-1002(002)/183 /2024- दिनांक-16-12-2024	49.92 43.41 35.72 5.00 38.41	30.37	8.04	8.04

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
2	नि.ख.-1 प्रतापगढ़	राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 330 के कि0मी0 41.200 से 52.00 (राजकीय पालीटेक्निक प्रतापगढ़ से भूपियामऊ चैराहा तक) मार्ग पर हाट मिक्स प्लान्ट एवं पेवर फिनिशर द्वारा विशेष मरम्मत के साथ बी0सी0 से नवीनीकरण का कार्य।	06 /2025/आई/ 842206/23-1-25/002-23-1002(002)/152/2024 पार्ट-1 -दिनांक-05-01-2025	663.08 621.34 506.47 72.27 549.07	504.57	44.50	44.50
3	प्रा.ख. प्रतापगढ़	सैफाबाद लेबदा दाउदपुर रामगंज सारडीह मार्ग (अन्य जिला मार्ग) का विशेष मरम्मत का कार्य।	784 /2024/आई/ 838172/23-1-24/001-23-1002(002)/154/2024 पार्ट-2 -दिनांक-31-12-2024	151.38 147.69 98.29 22.33 125.36	87.75	37.61	37.61
4	नि.ख. कौशाम्बी	लालगंज मंझनपुर मऊ मार्ग	75/2025/आई/868724/23-1-25/001-23-1002(002)/11/2025-दिनांक-31-01-2025	391.97 391.97 296.22 95.75 296.22	207.35	88.87	88.87
5	प्रा.ख. प्रयागराज	भारतगंज प्रतापपुर मार्ग के किमी0 6,8 से 21 तक ,22.500, 30.000 से 45.000, 69(450), 70 से 90 तक में सामान्य मरम्मत से नवीनीकरण का कार्य।	112/2025/आई/891760/23-1-25/001-23-1002(002)/45/2025-दिनांक-25-02-2025	2035.61 2035.61 1023.27 701.81 1333.80	770.86	562.94	297.75
6	प्रा.ख. प्रयागराज	सिरसा कोरांव इमण्डगंज मार्ग के किमी0 16,17,18, 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 (400) सामान्य मरम्मत से नवीनीकरण का कार्य।	112/2025/आई/891760/23-1-25/001-23-1002(002)/45/2025-दिनांक-25-02-2025	686.08 686.08 336.88 244.54 441.54	363.91	77.63	55.55
7	नि.ख.-2 बदायूं	विशेष मरम्मत के अन्तर्गत् नगला पोतर सम्पर्क मार्ग।	41/2025/आई/858936/23-1-25/002-23-1002(002)/154/2024-पार्ट-2-दिनांक-22-01-2025	20.06 20.06 13.77 2.62 17.44	14.04	3.40	3.20
8	नि.ख.-1 बरेली	बल्लिया से फिरोजपुर मार्ग	71 /2025 /आई/868723/23-1-25/002-23-1002(002)/11/2025 दिनांक 31.01.2025-दिनांक-31-01-2025	51.39 45.28 38.04 5.09 40.19	28.13	12.06	12.06
9	प्रा.ख. बरेली	सीबीगंज जोगीठेर से बादशाह नगर मार्ग	41/2025/आई/858936/23-1-25/002-23-1002(002)/154/2024-पार्ट-2-दिनांक-22-01-2025	31.47 28.87 20.91 3.10 25.77	18.88	6.89	5.91
10	प्रा.ख. बरेली	भिटौरा-बहेड़ी मार्ग	71 /2025 /आई/868723/23-1-25/002-23-1002(002)/11/2025	485.75 479.19 281.14 32.00	174.86	272.33	153.72

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
			दिनांक 31.01.2025-दिनांक-31-01-2025	447.19			
11	प्रा.ख. बरेली	बल्लिया शीशगढ़ बहेड़ी रूद्रपुर मार्ग	71 /2025 /आई/868723/23-1-25/002-23-1002(002)/11/2025 दिनांक 31.01.2025-दिनांक-31-01-2025	267.52 267.52 153.08 55.00 212.52	148.76	63.76	20.00
12	प्रा.ख. बरेली	नरियावल बिथरी चैनपुर मार्ग (नरियावल कुआ डांडा तिराहे तक)	71 /2025 /आई/868723/23-1-25/002-23-1002(002)/11/2025 दिनांक 31.01.2025-दिनांक-31-01-2025	198.88 198.88 124.77 18.00 180.88	113.00	67.88	58.84
13	प्रा.ख. बरेली	बसुधरन इटौआ गिरधरपुर मार्ग	71 /2025 /आई/868723/23-1-25/002-23-1002(002)/11/2025 दिनांक 31.01.2025-दिनांक-31-01-2025	181.04 157.73 100.48 40.04 117.69	0.16	117.53	66.00
14	प्रा.ख. बरेली	नबाबगंज बीजामऊ कटैया कैमुआ मार्ग से केसरपुर (मटकापुर तक) मार्ग	71 /2025 /आई/868723/23-1-25/002-23-1002(002)/11/2025 दिनांक 31.01.2025-दिनांक-31-01-2025	110.22 103.97 60.51 16.00 87.97	28.10	59.87	45.50
15	प्रा.ख. बरेली	अहमदाबाद से मधुकरपुर सम्पर्क मार्ग।	97/2025/आई/880682/23-1-25/003-23-1002(002)/161/2024-दिनांक-14-02-2025	31.31 29.92 19.92 2.39 27.53	20.94	6.59	6.53
16	नि.ख.-1 पीलीभीत	बुहिता परई नहर मार्ग पर कि0मी0 5 में स्थित पुरानी पुलिया के स्थान पर 1 सेतु 4X4मी0 स्पान का बॉक्स कल्वर्ट निर्माण	134 /2025/आई/907703 /23-1-25/001-23-1002(002)/77 /2025-दिनांक-17-03-2025	60.37 60.37 36.22 11.20 49.17	0.01	49.16	46.70
17	नि.ख.-1 शाहजहांपुर	मिर्जापुर गुलडिया सम्पर्क मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0 एवं नाली निर्माण का कार्य	68/2025/आई/867904/23-1-25/002-23-1002(002)/161/2024-दिनांक-31-01-2025	37.66 30.77 25.41 0.06 30.71	21.53	9.18	9.17
18	नि.ख.-1 शाहजहांपुर	शाहजहॉपुर जलालाबाद मार्ग से जमुनिया मुड़ियाआस सम्पर्क मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0, नाली निर्माण एवं शेष भाग की मरम्मत का कार्य	137/2025/आई/908711/23-1-25 /001-23-1002 (002)/79/2025-दिनांक-18-03-2025	55.57 50.00 35.80 6.42 43.58	10.03	33.55	33.00
						कुल योग-	992.95

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2026 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 9,92,95,000/- (रूपये नौ करोड़ बानबे लाख पंचानबे हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक "3054**043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-490/2025/आई/1124553(1)/23-1-25/003-23-1002(002)/37/2025, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी),प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।